







जय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

44/2019

तारीखरजू- 27/5/19

उनवान:- भगवान सहाय बनाम जगराम वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा०टि०एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
15/11/19	<p>वादी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 03.06.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
3.6.19	<p>वादी वकील उप० प्रतिवादी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा Adv. ने कालतमाग पेश किया। जबाब पेश करने दिनांक 2.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>
27.7.19	<p>वकुलाय उप० जबाब दावा पेश करने दिनांक 29.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>
29.7.19	<p>वादी वकील उप० प्रतिवादी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv. ने जबाब कालतमाग पेश किया। जबाब दावा पेश करने दिनांक 26.8.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  वकुलाय स्मरिथता पीठसन अधिकारी (क.क.श.) पर पधार है। अतः पत्रावली गताभुसर दिनांक 20.9.19 को पेश हो। </p>
26.8.19	<p>वकुलाय उप० जबाब पेश करने 17.10.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
20.9.19	<p>वकुलाय उप० जबाब पेश करने 22.11.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>

1786
27/5/19

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
22.11.19	वकील अग्रपक्ष उपो। प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी जगराम ने कथन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है राजीनामा पेश करने कि 27.11.19 को पेश हो।
27.11.19	उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) वकील अग्रपक्ष उपो। राजीनामा पेश करने एक प्रोक्वा डेटा पाठा प्रोक्वा दिया गया। राजीनामा पेश करने दिनांक 6.12.19 को पेश हो।
6.12.19	वकुलाय स्मरित/पीठसन अधिकारी कोर्ट पेशी पर जयपुर पधारे है। अतः पत्रावली गवानुसार दिनांक _____ को पेश हो। उत्तरप: वकील अग्रपक्ष ने वादी न प्रतिवादी को उपस्थित कराकर राजीनामा के कारण दावा विहा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र शामिल किया। पीठाधीन अधिकारी मेहा: कोर्ट पेशी पर जयपुर पधारे है वोलो हाजिम हादेश दिनांक 9.12.19 को पेश हो।
9.12.19	वकील अग्रपक्ष उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी ने राजीनामा कर मुकदमे को हाजे नही चलाने एवं इसी स्टेज पर खारिज कते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः यह दावा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमा होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

मोवाबराह
जगराम मीसा

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

